बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं० (CIN)-.U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय–कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु० 5, थाना–हवाई अड्डा थाना, पटना–800014.

ई0 कमल किशोर प्रसाद
मुख्य अभियंता

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2223727
मोबाईल नं0 : 9471006801
ई–मेल : cepolicenigam@bihar.gov.in
वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

संचिका सं0–Misc-1/2600(2024)................................ दिनांक :– ..../........./2024

कार्यालय आदेश सं0–..337/2024

विषयः– वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–3/2022 Central Tax Rate, New Delhi दिनांक–13.07.2022 निर्माण कार्य (work contract) के लिए बढ़े हुए GST दर (यथा 12% के स्थान पर 18%) को लागू करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक में कहना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या–03/2022 Central Tax Rate, New Delhi दिनांक–13.07.2022 के अनुसार कंडिका में संशोधन करते हुए Works Contract में किए जाने वाले भुगतान हेतु CGST & SGST मिलाकर 18% किया गया है जो दिनांक–18.07.2022 से प्रभावी है। वाणिज्य कर विभाग के पत्रांक–3265 दिनांक–01.12.2022 द्वारा Government Entity अथवा Government Authority को प्रदान की जा रही निर्माण सेवाओं पर जीएसटी के दरों को 12% से बढ़ाकर 18% होने से संबंधित सूचना विभाग एवं उनके अधिनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार को अवगत कराने हेतु निर्देश दिया गया है। वर्त्तमान में पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा प्राक्कलन का गठन भवन निर्माण विभाग का अनुसूचित दर 01.01.2022 के आधार पर किया जाता है, जिसमें सभी कार्य मदों में 12% के दर से GST का समावेश किया गया है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा गठित प्राक्कलनों में बढ़े हुए GST के दर का प्रावधान नहीं करने के कारण संवेदकों पर अतिरिक्त कर का दायित्व बढ़ रहा है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं भुगतान की प्रक्रिया के निर्धारण का प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

1. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में दिनांक–01.07.2017 से प्रभावी GST के अनुरूप विभिन्न सेवाओं/मदों हेतु दर की अलग–अलग श्रेणियाँ निर्धारित है। इस क्रम में अधिसूचना संख्या–03/2022 केन्द्रीय कर (दर) दिनांक–13.07.2022 की कंडिका (A)(i)(a) एवं (A)(i)(c) द्वारा पूर्व की अधिसूचना संख्या 11/2017 केन्द्रीय कर दर दिनांक–28.06.2017 की तालिका के क्रमांक–3 के सम्मुख अंकित कॉलम की कंडिका (iii), (iv),(v),(va) एवं (vi) विलोपित करते हुए निर्माण कार्यो हेतु पूर्व निर्धारित 12% GST (SGST 6% एवं CGST 6%) की दर को संशोधित करते हुए 18% GST (SGST 9% एवं CGST 9%) किया गया है, जो दिनांक–18.07.2022 से प्रभावी है।

2. ऐसी सभी योजनाएँ जिनके प्राक्कलन का गठन वर्त्तमान में किया जा रहा है उसके प्राक्कलन राशि में GST दर में हुए वृद्धि के कारण 5.36% के दर से अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाए। उक्त बढ़े हुए GST की राशि को प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरान्त परिणाम विपत्र एवं एकरारनामा में शामिल किया जाए ताकि संवेदक को बढ़े हुए GST का भुगतान किया जा सके।

3. वैसे कार्य/योजनाएँ जिसमें 12% GST के आधार पर प्राक्कलन स्वीकृत है तथा किए गए कार्य के विरूद्ध विपत्रों को दिनांक–18.07.2022 को या उसके बाद प्रस्तुत करने हुए भुगतान का दावा किया गया है, के मामलों में 18% GST के आधार पर अतिरिक्त राशि समावेशित किया जाएगा। परन्तु दिनांक–18.07.2022 के पूर्व Billed Amount का भुगतान 12% GST के आधार पर अनुमान्य होगा।

4. उल्लेखनीय है कि भवन निर्माण विभाग में वर्त्तमान अनुसूचित दर का निर्माण बढ़े हुए GST दर अर्थात 18% के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। जिसके लागू होने के उपरान्त किसी भी नए प्राक्कलन में अतिरिक्त GST की राशि का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. उपरोक्त कार्यालय आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

6. उक्त पर पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम मुख्यालय, पटना की सहमति प्राप्त है।

ह0/–
(कमल किशोर प्रसाद)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक– .... पटना, दिनांक–......../......./2024

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (मो0), अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01 एवं 02/मुख्य लेखा पदाधिकारी/सचिव/कार्यपालक अभियंता, मोनेटरिंग, बी0ओ0क्यू0 एवं गुण नियंत्रण/वास्तुविद/संरचना परामर्शी/विद्युत परामर्शी/ कंपनी सचिव सभी कार्यपालक अभियंता, पटना/राजगीर/मगध प्रमण्डल कैम्प डिहरी–ओन–सोन/भागलपुर/दरभंगा/पूर्णियाँ/मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(कमल किशोर प्रसाद)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक– .... पटना, दिनांक–......../......./2024

प्रतिलिपि– पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम मुख्यालय, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(कमल किशोर प्रसाद)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक– 1to 3663 पटना, दिनांक–30/8/2024

प्रतिलिपि– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को, निगम के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कमल किशोर प्रसाद)
मुख्य अभियंता।